झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः जमशेदपुर (UA) के मास्टर प्लान के लिए पूर्व से प्रस्तावित प्लानिंग एरिया के अतिरिक्त समीपवर्ती क्षेत्र (Contiguous Area) को शामिल करने हेतु समेकित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु विधिवत् चयनित परामर्शी M/s. Superior Global Infrastructure Consulting Pvt. Ltd., New Delhi को मनोनयन के आधार पर अतिरिक्त कार्यावंटन एवं अतिरिक्त परामर्शी शुल्क के भुगतान की स्वीकृति।

जमशेदपुर (UA) में कुल 04 शहरी स्थानीय निकाय यथा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई नगरपालिका एवं आदित्यपुर नगर परिषद् सम्मिलित हैं।

2. कार्यालय आदेश संख्या–402, दिनांक–07.02.2006 के द्वारा जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन के अन्तर्गत राज्य के 03 चयनित शहर राँची, जमशेदपुर तथा धनबाद शहर के CDP तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन के लिए प्रशासक, राँची नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। पुनः कार्यालय आदेश संख्या–22/677, दिनांक–06.03.2006 द्वारा सूचीबद्ध परामर्शियों के माध्यम से राज्य के अन्य शहरों के मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जमशेदपुर (UA) सम्मिलित था। समिति द्वारा परामर्शी M/s. Superior Global Infrastructure Consulting Pvt. Ltd., New Delhi का चयन जमशेदपुर (UA) का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए किया गया। इस कार्य हेतु परामर्शी शुल्क ₹ 150.00 लाख (एक सौ पचास लाख रूपये) निर्धारित किया गया। कार्य पूरा करने की समयावधि 18 महीने निर्धारित की गई। प्लानिंग प्रक्रिया के क्रम में मास्टर प्लान का प्लानिंग एरिया 149.51 वर्ग कि0मी0 निर्धारित किया गया।

3. जमशेदपुर (UA) के महायोजना प्रारूप (Draft Master Plan) की सघन समीक्षा सरकार स्तर पर दिनांक–27.01.2015 को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में की गई। समीक्षा में यह बिन्दु विशेष कर सामने आया कि तैयार मास्टर प्लान जमशेदपुर (UA) शहर के भविष्य में विकसित होने वाले आवासीय एवं अन्य क्षेत्रों को नहीं दर्शाया गया है। आगामी वर्ष 2027 तक की संभावित जनसंख्या की आवश्यकता के लिए Housing एवं अन्य Infrastructure हेतु सही रूप में भूमि का आकलन करते हुए इसका समावेश प्रस्तावित मास्टर प्लान में किया जाना अपेक्षित पाया गया।

शहर के किनारे में खरकई एवं सुवर्णरेखा नदी बहती है जिस पर चार से पाँच पुल प्रस्तावित कर आस–पास के क्षेत्र को मास्टर प्लान का भाग बनाते हुए आवश्यक Infrastructure तथा Housing योजनाएं कार्यान्वित कर Parental शहर के भू–भाग पर जनसंख्या का बोझ कम करने पर सहमति बनी।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में परामर्शी द्वारा कंडिका–2 में वर्णित प्रयोजन के निमित्त, पूर्व के चिन्हित कुल प्लानिंग एरिया 149.51 वर्ग कि0मी0 के अतिरिक्त 58.6 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र को सम्मिलित करने का सुझाव प्राप्त हुआ एवं उक्त कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹ 67.555 लाख (सड़सठ लाख पचपन हजार पांच सौ मात्र) परामर्शी शुल्क (सेवा कर सहित) की मांग की गई है।

5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त परामर्शी M/s. Superior Global Infrastructure Consulting Pvt. Ltd., New Delhi को अतिरिक्त क्षेत्र 58.6 वर्ग कि0मी0 को शामिल करते हुए GIS Based (अमृत योजना के मापदंड के अनुसार) समेकित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु झारखंड वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत् मनोनयन के आधार पर कार्यावंटन एवं परामर्शी शुल्क की अतिरिक्त राशि ₹ 67.555 लाख (सड़सठ लाख पचपन हजार पांच सौ मात्र) (सेवा कर सहित) के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.06.2016 में मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को जनसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाय।

28.6.16

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–02/न0वि0/मास्टर प्लान–102/2008.....3452 राँची, दिनांक–29/06/16

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि झारखण्ड राजपत्र के उक्त अंक की 100 प्रतियाँ नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28.6.16

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–02/न0वि0/मास्टर प्लान–102/2008.....3452 राँची, दिनांक–29/06/16

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ0क्षे0स0, मानगो अ0क्षे0स0, जुगसलाई नगरपालिका/कार्यपालक पदाधिकारी, आदित्यपुर नगर निगम/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.6.16

सरकार के प्रधान सचिव